प्रेस विज्ञप्ति

कैथल, 08 जुलाई, 2017 :

जीएसटी है 'टैक्स का जंजाल, जनता होगी 'महंगाई से बेहाल'

भाजपा के जीएसटी द्वारा, 'रोटी, कपडा और मकान' के अधिकार पर प्रहार

सच्चाई बताने व विरोध जताने पर दुकानदारों को भांजी जा रही पुलिस की लाठियां

'इंस्पेक्टरी राज' का होगा बोलबाला, व्यवसायी व जनता पर बेतहाशा करों का बोझ डाला

कांग्रेस ने जीएसटी दरों में कमी की मांग करते हुए जीएसटी की अधिकतम दरों को 40 प्रतिशत से घ ाटाकर 18 प्रतिशत करने पर जोर दिया है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा के जीएसटी को जनविरोधी और महंगाई बढ़ाने वाला जीएसटी बताते हुए कहा कि भाजपा ने जीएसटी के नाम पर जनता पर टैक्सों का कमरतोड़ भार लाद दिया है। जहां यूपीए–कांग्रेस का जीएसटी सरल और पारदर्शी था व टैक्स की अधिकतम सीमा 18 प्रतिशत थी, भाजपा द्वारा लाया गया जीएसटी इसके बिल्कुल उलट है। श्री सुरजेवाला शनिवार को कैथल में **'व्यापार बचाओ, दुकानदार बचाओ' सम्मेलन** को संबोधित कर रहे थे। इस विशाल व्यापारी सम्मेलन को देश में वर्तमान जीएसटी व्यवस्था के विरोध में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में प्रदेशभर से आए व्यापारी, दुकानदार, कारोबारियों के अलावा भिन्न–भिन्न व्यापारी संगठनों व पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

श्री सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस द्वारा जिस जीएसटी की परिकल्पना की थी, वह एकल टैक्स व्यवस्था व सरल टैक्स प्रणाली स्थापित करता, लेकिन भाजपा ने जीएसटी में 'एक देश, एक टैक्स' के नाम पर 7 से भी अधिक टैक्स दरें लागू कर डालीं। ये दरें (0.25 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 28 प्रतिशत और 40 प्रतिशत) दुनिया में सबसे अधिक हैं। इसके अलावा और टैक्स लगाने का अधिकार भी राज्य सरकारों को दे डाला, यानि अब जीएसटी के अलावा राज्य सरकारें अलग–अलग शक्ल में अतिरिक्त कर लगा सकती हैं, जैसा हाल में ही तमिलनाडु व महाराष्ट्र की सरकार ने गाड़ियों पर 'रजिस्ट्रेशन टैक्स' व सिनेमाघरों पर 'प्रांतीय मनोरंजन कर' लगाकर किया है। यदि कांग्रेस द्वारा लाया जीएसटी लागू किया गया होता, तो निश्चित ही हम एक टैक्स दर (तीन स्लैब्स के साथ) के लिए प्रतिबद्धता से काम करते। इसके अलावा जीएसटी की अधिकतम सीमा 18 प्रतिशत पर ही तय होती, श्री सुरजेवाला ने कहा।

जीएसटी में हर साल 37 रिटर्न – उलझन व सरदर्दी

भाजपा द्वारा लाया गया जीएसटी इतना उलझनभरा है जिसमें टैक्सदाता साल में 37 बार रिटर्न भरने की भूल–भुलैया में उलझकर रह जाएगा। व्यापारियों की तकलीफ का अंदाजा इस बात से लगता है कि यदि कोई टैक्सदाता 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में व्यापार करता है, तो उसे एक साल में 1332 रिटर्न भरनी होंगी। उन्होंने कहा कि यदि वो रिटर्न ही भरता रहेगा, तो फिर अपना व्यापार कब करेगा। यह भी सोचने वाली बात है।

दैनिक जरूरतों की वस्तुओं पर बेतहाशा टैक्स

जीएसटी के प्रावधानों की विस्तृत चर्चा करते हुए श्री सुरजेवाला ने 'रोटी, कपड़ा और मकान' पर बेतहाशा टैक्स लगाने के लिए भाजपा की मंशा पर सवाल खड़े किए। श्री सुरजेवाला ने बताया कि भाजपा के जीएसटी में शैंपू/डियोड्रंट, एसी/टीवी/वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर/मल्टीफंक्शनल

प्रिंटर, छोटी कारें, 100 रु. से अधिक के फिल्म के टिकट, वाहनों पर ईएमआई, सीमेंट, चेस बोर्ड/योगा मैट पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाए गए हैं। इसी प्रकार फूड एवं बेवरेज, क्रेडिट कार्ड द्वारा पेमेंट एवं सभी बैंकिंग सेवाओं, इंश्योरेंस प्रीमियम एवं वित्तीय सेवाओं, टेलीफोन/सेल फोन शुल्क, हेलमेट, कोचिंग क्लासेस, टूर एवं ट्रैवल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एवं हॉस्पिटल, संपूर्ण कॉन्स्ट्रक्शन क्षेत्र, आईसक्रीम/हेयर ऑईल/टूथपेस्ट/साबुन/सूप/कॉर्न फ्लेक्स, टेक्सटाईल/मैनमेड फाईबर/डाई/एम्ब्रॉयडरी, होम लोन/कंज़्यूमर ड्यूरेबल/मेडिसीन/इंश्योरेंस, फोटो–वोल्टेक सेल, मिनरल वॉटर पर 18 प्रतिशत की दर से टैक्सभार डाला गया है। डायलिसिस, ब्लड टेस्ट, एक्स–रे, अल्ट्रा–साउंड आदि जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं पर 12 से 18 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया गया है। महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन, 1000 रु. से अधिक मूल्य के कपड़े/जूते, चाय/कॉफी/मक्खन, बिस्कुट, दही/मिठाई/जूस पर 12 से 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा।

श्री सुरजेवाला ने टैक्स दरें निर्धारित करने में हुए मनमानेपन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि इस बात का क्या तर्क है कि झींगों (prawns) और मछली के अंडों के अचार (caviar) पर तो 12% का टैक्स लगाया गया, पीने के पानी की बोतल को 18 प्रतिशत की टैक्स दर में रखा गया और विदेशों से मंगाए जाने वाले आयातित फलों एवं सब्जियों पर कोई टैक्स नहीं रखा गया? इसी तरह बादाम एवं मेवों पर 12 प्रतिशत का टैक्स लगाने और काजू को 5 प्रतिशत की टैक्स सीमा में रखने के पीछे क्या तर्क हो सकता है? यहां तक कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपया बढ़ा डाले।

कपडा उद्योग पर सबसे कडा प्रहार

श्री सुरजेवाला ने कहा कि कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है। जीएसटी की मनमानी ड्यूटी संरचना से इस सेक्टर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और छोटे, लघु एवं मध्यम निर्माताओं, कारोबारियों, कपड़ा व्यापारियों तथा दुकानदारों की रोजी–रोटी बंद हो जाएगी। श्री सुरजेवाला ने बताया कि एक तरफ तो सरकार ने फैब्रिक (कपड़ा) को 5 प्रतिशत की टैक्सदर रखकर भोलेभाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ हस्तनिर्मित फाईबर एवं धागों, डाईंग और प्रिंटिंग तथा एम्ब्रॉयडरी पर 18 प्रतिशत का ऊंचा टैक्स लगा दिया है। इससे छोटी, लघु तथा नॉन–इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल कंपनियों का कारोबार ठप्प पड़ जाएगा और कपड़ा उद्योग की बड़ी कंपनियां भारी फायदा कमाएंगी। चौंकानेवाली बात तो यह है कि एक तरफ भारतीय फैब्रिक निर्माताओं पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार ने चीन, बंग्लादेश, श्रीलंका और अन्य देशों से मंगाए जाने वाले आयातित फैब्रिक पर केवल 5 प्रतिशत का टैक्स लगाया है, जिससे भारत में कपड़ा उद्योग की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी।

खेती–बाड़ी पर टैक्स लगाया – भाजपा का किसान–विरोधी चेहरा बेनकाब

जहां भारत का किसान उचित एमएसपी तथा कर्ज के बोझ से मुक्ति पाने के लिए जूझ रहा है। वहीं भाजपा सरकार ने जीएसटी के माध्यम से किसान और खेती–बाड़ी पर दोहरी मार मारते हुए टैक्स लगा दिया है। ज्यादातर राज्यों में खाद पर 0 प्रतिशत टैक्स लगता था। पहले भाजपा ने खाद पर 12 प्रतिशत टैक्स लगाया, लेकिन कांग्रेस के विरोध के बाद इस टैक्स को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। इसी तरह देश के किसानों की दुर्दशा पर आंखें मूंदते हुए कीटनाशकों पर 28 प्रतिशत का जीएसटी लगा दिया। खेती–बाड़ी के लिए ऐसा प्रतिकूल फैसला क्यों किया गया, यह चिंतनीय मुद्दा है।

हद तो तब हो गई, जब ट्रैक्टर एवं सभी कृषि उपकरणों पर 12 प्रतिशत का जीएसटी लगा दिया गया। पीछे के दरवाजे से टायरों, ट्यूब, इंजन और ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के पुर्जों तथा अन्य कृषि उपकरणों पर 28 प्रतिशत का टैक्स थोप दिया गया, जिससे खेती–बाड़ी पर प्रभावी टैक्स 28 प्रतिशत हो जाएगा। कोल्ड स्टोर एवं वेयरहाउसों के निर्माण पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगाया गया है। इन सबसे भाजपा का दोहरा चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि जनता को राहत मिले

श्री सुरजेवाला ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी में लाया जाए। उन्होंने कहा कि तेल रिफाईनरियों द्वारा पेट्रोल उत्पादन का खर्चा केवल 23.03 रु. आता है, लेकिन बाज़ार में हम इसकी कीमत 63.46 रु. देते हैं, यानि कि 40.43 रु. टैक्स है। इसी प्रकार डीज़ल की उत्पादन लागत 23.86 रु. है, जबकि बाजार भाव 54.06 रु. है। यानि डीज़ल पर 30.20 रु. सरकार टैक्स है। यदि यही टैक्स 18 प्रतिशत जीएसटी की दर में आ जाए, तो डीज़ल व पेट्रोल की कीमतें आज ही 25 रु. प्रति लीटर कम हो जाएं।

व्यापारी सम्मेलन को पूर्व मंत्री व विधायकों, श्री बच्चन सिंह आर्य, श्री रमेश गुप्ता, श्री पवन दीवान, श्री राधेश्याम शर्मा, श्री पूल सिंह बाल्मीकी; हरियाणा महिला कांग्रेस अध्यक्षा, श्रीमति सुमित्रा चौहान, हरियाणा किसान कांग्रेस अध्यक्ष, श्री भूपेंद्र सिंह फोगाट, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस महासचिव, श्री सुरेश यूनुसपुर व श्री नाहर सिंह संधू, हरियाणा कृषक समाज अध्यक्ष, श्री ईश्वर नैन व 30 से अधिक शहरों से आए व्यापारी व किराना संगठनों तथा राज्य की अन्य ट्रेड इकाईयों के अध्यक्षों ने भी संबोधित किया।